वर्ष 4, अंक 61

राष्ट्र महिला

नवम्बर, 2004

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कल्याण विभाग के सहायोग में नई दिल्ली में 'महिलाएं और स्वास्थ्य' विषय पर राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सचिवों की एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की।

भागीदारों का स्वागत करते हुए, सदस्या अनुसुइया उइके ने बैठक के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। देश के विभिन्न भागों में महिलाओं और स्वास्थ्य विषय पर की गयी जन सुनवाइयों के दौरान जो सूचना संकलित की गयी है उसी को आधार बना कर इस बैठक का आयोजन किया गया है।

मुख्य भाषण में, परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री पी.के. होटा ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने अपने सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के स्वास्थ्य, उचित मूल्यों पर दवाएं मुहैया कराने आदि विषयों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि लिंग समानता की अपेक्षा यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य प्रणाली अधिक महिलाओं पर ध्यान दे।

अपने परिचय भाषण में आयोग की अध्यक्षा डा. आडवाणी ने कहा कि महिला-उन्मुख स्वास्थ्य नीतियों का विवेचन करने वाली यह अखिल भारतीय स्वास्थ्य सचिवों की पहली बैठक है। उन्होंने राज्यों के सचिवों से आग्रह किया कि इस बारे में नीतियां तैयार करते समय राज्यों के महिला आयोग से अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंची मातृत्व मृत्यु दर, महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जनसंख्या नीति तथा 'लुप्त लड़कियां' महिलाओं और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके लिए सुविचारित रणनीतियां बनाई जाने की आवश्यकता है। उन्होनें हाशिये पर रह रहे लोगों जैसे आदिवासियों, निमार्ण कामगारों, बांस कामगारों आदि के लिए शौचालयों, पेय जल, सफाई इत्यादि सुविधाएं प्रदान करने में असफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्षा डा. पूर्णिमा आडवाणी स्वास्थ्य सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए। मंच पर (बायें से) सुश्री अनुसुइया उइके, डा. ए.रामदास और श्री पी.के. होटा

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डा.ए.रामदास ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मातृत्व स्वास्थ्य, ग्राम विकास आदि में असमान सामाजिक सेवाओं पर प्रमुखता से ध्यान दे रही है। परिवार नियोजन

चर्चा में — महिलाएं और स्वास्थ्य

कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय में पुरुषों द्वारा अधिक भागीदारी निभाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोंगों पर दो बच्चों की सीमा का प्रतिमान लादने का कोई प्रश्न नहीं है क्योकि इससे लागों के मूल अधिकारों का हनन होता है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि महिला-पुरुष विषमता को रोकने के लिए कड़े कानून की तथा विभिन्न अधिनियमों जैसे जन्म-पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिबँध अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के चरण दो का कार्य वर्ष 2005 तक पूरा हो जायेगा और 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और प्रत्येक गांव में एक गांव स्तरीय प्रशिक्षित परिचारक होगा।

तकनीकी क्षेत्र में, डा. रेणु खन्ना ने महिलाओं को अच्छे प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही, डॉ. विभूति पटेल ने बालिका भ्रूण-हत्या की ओर ध्यान दिलाया और डॉ. अभिजीत दास ने महिलाओं के प्रति हिंसा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति का महिला स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। विस्तृत चर्चा के पश्चात, निम्नलिखित संकल्प स्वीकृत किया गया:

- स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को महिलाओं के निजित्व तथा प्रतिष्ठा का ध्यान रखने में श्रेणी, जाति, अथवा धर्म के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए।
- नसबंदी, गर्भ-निरोधक गोलियों, कापर टी आदि के बारे में निर्धारित किए गये सेवा मार्गनिर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। मातृत्व मृत्यु दर कम करने और सुरक्षित प्रसव के लिए समुचित जन्म-पूर्व तथा जन्म-पश्चात देखभाल आश्वस्त की जानी चाहिए।
- गर्भ-निरोधक सेवाओं का प्रमुख आधार स्वैच्छिक चयन, विकल्पों की उपलब्धि और सेवाओं तक पहुंच होना चाहिए।

● महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली द्वारा एक जन स्वास्थ्य के मुद्दे के रुप में देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य प्रदायकों को इस बारे में सेवा-पूर्व तथा सेवा-दौरान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

● कार्यक्रम आयोजकों तथा प्रबंधकों को यह आश्वस्त करना चाहिए कि महिला स्वास्थ्य प्रदाता अपना कर्तव्य सुरक्षित वातावरण में निभा सकें।

● महिलाओं और हिंसा के मुद्दों का समावेश करते हुए, एक नागरिक सेवा चार्टर तैयार किया जाना चाहिए। चार्टर के उल्लंघन से निबटने के लिए सभी स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

● लिंग-चयन को रोकने तथा चिकित्सा-कानूनी मामलों में सामयिक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से प्रशिक्षित प्रबंधकों तथा प्रदायकों द्वारा जन्म-पूर्व लिंग-निर्धारण प्रतिषेध अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

● महिलाओं के स्वास्थ्य का निर्धारण उनकी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता द्वारा होता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोजन की आवश्यकता है।

● महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, गृह एवं स्वास्थ्य जैसे विभागों/मंत्रालय के साथ स्व-सहायी ग्रुपों तथा पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार मिल कर काम करना अधिक प्रभावशाली होगा।

● महिला स्वास्थ्य में निहित महत्व की जानकारी पैदा करने के लिए नीति निर्माताओं, कार्यक्रम प्रबंधकों तथा प्रदाताओं को महिला-संवेदीकृत किया जाना आवश्यक है जिससे कि महिला मुद्दों को समझने तथा उनका समाधान करने की उनकी प्रवृत्ति में वृद्धि हो।

● स्वास्थ्य प्रदायी सेवाओं की खामियों को दूर करने और उन पर निगरानी रखने के लिए महिला संवेदना संसूचक अहम हैं। महिला संवेदनपूर्ण नीतियां बनाने तथा स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए महिला संबंधित विविध आंकड़ों का संकलन अत्यावश्यक है।

● स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग, स्वास्थ्य संसूचकों में सकल सुधार तथा महिलाओं का सशक्तिकरण आश्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लिंग-भेद किए बिना सामाजिक एवं स्वास्थ्य विकास योजनाएं, विशेषकर पिछड़े जिलों के लिए तैयार की जायें।

बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग का मनीपुर का राजकीय दौरा

आयोग ने 19 से 21 सितम्बर, 2004 तक मनीपुर का राजकीय दौरा किया। आयोग के दल में अध्यक्षा, सदस्या नफीसा हुसैन तथा कार्डीनेटर नंदिनी थौकचेम थे। दल ने गैर सरकारी संगठनों, महिला कार्यकर्ताओं, वकीलों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। गैर सरकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गये :

● सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह सशस्त्र सेवाओं के सदस्यों को दंड से मुक्ति दिलाता है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही रोकता है।

● जिन समस्याओं का महिलाओं को सामना करना पड़ता है उन सभी को राज्य महिला आयोग के सम्मुख लाया जाना चाहिए।

● यहां के जेल में बहुत कम महिलाएं हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केवल 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस समय कोई भी महिला आजीवन कारावास नहीं काट रही है।

आयोग ने ये सिफारिशें की:

(1) महिला बंदियों के लिए जेल में एक पृथक कक्ष स्थापित किया जाये तथा उनके मुकदमों में बिलम्ब न किया जाये (2) पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33 प्रतिशत की जाये (3) जनता में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जानकारी प्रसार किया जाये (4) परिवार न्यायालयों में महिला न्यायधीश और मंत्रणादाता नियुक्त किए जायें।

गैर सरकारी संगठनों ने ये सुझाव दिए:

(1) जेलों में महिलाओं की दशा, सफाई की सुविधाओं आदि में सुधार किया जाये। (2) स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में कुछ नियंत्रण लगाये जायें। (3) अध्यापकों की नियुक्ति में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये। (4) लड़कियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यचर्या प्रारंभ की जाये। (5) कमज़ोर वर्गों की महिलाओं के लिए साधन-अनुसार ग्रामीण तकनीकें मुहैया कराई जायें। (6) ग्रामीण बैंकों का प्रसार किया जाये। (7) सभी जिलों में परिवार न्यायालय स्थापित किए जाएं। (8) एक महिला संवेदी नीति, विशेषकर उन जनजाति विधवाओं के लिए जिनकी केवल लड़कियां ही हैं, तैयार की जाये। (9) परंपरागत कानूनों को शीघ्र संहिताबद्ध किया जाये (10) सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाये। (11) एचआईवी/एड्स से संक्रमित महिलाओं की देखभाल और सहायता के लिए केन्द्र स्थापित किए जायें। (12) नशेड़ियों की पत्नियों की समस्याओं का समझने के लिए मंचों की स्थापना की जाये। (13) जो नशेड़ी अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रतिरोधक के रुप में जुर्माने तथा लघु गिरफ्तारी की सज़ा नियत की जाये (14) दूरदराज के क्षेत्रों में महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध होने चाहिए।

स्वैच्छिक समाज कार्य पर कार्यशाला

थाणे (महाराष्ट्र) में, राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से 'स्वैच्छिक समाज कार्य द्वारा महिला सशक्तिकरण' पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें 50 गैर सरकारी संगठनों के 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती मृदुला सिन्हा ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए भागीदारों से आग्रह किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं हाथ में लें और महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध करें। कार्यशाला के उद्देश्य थे: (i) सरकारी सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संगठनों और कभी सरकारी सहायता न मांगने वाले गैर सरकारी संगठनों के बीच सार्थक विचार-विमर्श प्रारंभ करना (ii) "अप्रकट" स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक कार्य की औपचारिक दुनिया से अवगत कराना जिन्हें सरकारी समर्थन से पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है (iii) महिलाओं के मुद्दों पर कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों को स्पष्ट रुप से उनके सामने लाना।

बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई: (1) स्वैच्छिक समाज कार्य की सोच: भारतीय परिप्रेक्ष्य (2) महिला सशक्तिकरण: भारतीय परिदृश्य (3) महिला कल्याण परियोजनाओं को सरकारी वित्तीय सहायता (4) परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

विभिन्न सफल संगठनों जैसे 'सेवा' (अहमदाबाद); 'स्नेहलता' (अहमदनगर); 'विकास और शोध प्रयासों का हिमालय संघ'(देहरादून); 'जुंका बाखर केन्द्र' (जलगांव) ने अपनी सफलता के आख्यान प्रस्तुत किए।

जन सुनवाइयां

घरेलू नर्सों की समस्याओं पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक जन-सुनवाई का आयोजन कालमार्सेरी स्थित राजगिरी कालिज आफ सोशल साइंस द्वारा किया गया। जिला एरणाकुलम, केरल, की विभिन्न नर्स-प्रशिक्षण संस्थाओं के 85 प्रतिनिधियों तथा घरेलू नर्सों ने इसमें भाग लिया।

भागीदारों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गये:

● घरेलू नर्सें नियमित वेतन, भविष्य निधि और पेंशन से वंचित हैं।

● घरेलू नर्सों के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता है और परिचर्या के अतिरिक्त उन्हें घरेलू काम करने को भी मजबूर किया जाता है। घरेलू नर्सों के काम को अभी तक ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है ।

● मरीजों तथा परिवार के सदस्यों द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और ताज़ा भोजन नहीं दिया जाता; उन्हें बचा हुआ भोजन दिया जाता है।

● कुछ घरेलू नर्सों को विदेशों में बड़े वेतन को लालच देकर फुसलाया जाता है और फिर उनमें से अनेक का शोषण किया जाता है और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है जो उन्हें चुपचाप सहना पड़ता है।

● मरीजों तथा उनके परिवार वालों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। उनके नियोक्ता बहुधा उन पर चोरी का आरोप लगाते हैं।

● उनके लिए कल्याण योजनाओं जैसे चिकित्सा बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और ऋण आदि का प्रबंध होना चाहिए।

● घरेलू नर्सों को काम दिलाने के कार्य में अनेक गैर-सरकारी एजेंसियां लगी हैं।

● घरेलू नर्सों पर उपयुक्त कानून नहीं हैं।

● भर्ती करने वाली एजेंसियां उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व नहीं लेतीं।

सदस्यों के दौरे

● फरीदाबाद की भट्टी खदानों में एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिए जाने के कथित मामले की जांच करने के लिए वहां अध्यक्षा के साथ सदस्या बेबी रानी मौर्य गयीं।

नवम्बर 4-8 के बीच सुश्री बेबी रानी मौर्य ने सिक्किम का दौरा किया। सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा 5 नवम्बर को बुलायी गई गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक में उन्होंने भाग लिया। बाद में उन्होंने सिक्किम सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों की एक बैठक में भाग लिया। तत्पश्चात, वह सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इलायची कामगारों की एक जन सुनवाई में गयीं।

सुश्री मौर्य हाथरस और आगरा गयीं आर राष्ट्रीय नारी जागृति संस्थान द्वारा दलित महिलाओं पर आयोजित एक जन सुनवाई में भाग लिया।

● डा. सुधा मलैया ने सदस्या नफीसा हुसैन के साथ नई दिल्ली में एक बस ड्राइवर द्वारा अंधी लड़की का बलात्कार किए जाने के मामले की जांच की।

वह सदस्या अनुसुइया उइके के साथ एक चार-वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच करने भोपाल भी गयीं।

● सदस्या निर्मला सीतारमन अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय के राजकीय दौरे पर गयीं। दोनों राज्यों में महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने वहां के मुख्य सचिवों एवं अन्य सचिवों के साथ बैठकें की। राज्यों के समाज कल्याण विभागों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठनों की बैठकों में उन्होंने भाग लिया। बाद में उन्होंने गुवाहाटी में गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की।

● सदस्या अनुसुइया उइके ने सदस्या नफीसा हुसेन के साथ बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले की 16 अक्टूबर 2004 को जांच पड़ताल की।

उन्होंने 'अदित्य संस्था' द्वारा नांगलोई, दिल्ली, में आयोजित माला बेचने के धंधे में लगी महिलाओं की जन सुनवाई में भाग लिया।

वह इंदौर गयीं जहां उन्होंने इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मेनेजमेंट में काम कर रही सारिका गुप्ता की कार्यस्थल पर शोषण किए जाने की शिकायत की जांच की। उन्होंने सीमा अग्रवाल की पुलिस की ज्यादती की शिकायत की जांच भी की। बाद में उन्होंने उज्जैन के महिला जेल का और महिला संरक्षण गृह, सेवाधाम, इंदौर का, मुआइना किया।

सुश्री उइके आयोग के अवर सचिव श्री एस.के.गर्ग सहित 2 नवम्बर 2004 को बिहार राज्य सरकार के सचिवों के साथ चर्चा करने के लिए पटना गयीं और बाद में मालाएं बेचने वाली महिलाओं पर पटना की आदित्य संस्था द्वारा आयोजित एक जन सुनवाई में भाग लिया और महिलाओं पर अत्याचार विषय पर आयोजित एक जन सुनवाई में भी भाग लिया।

असम में महिला विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, द्वारा 'राजनीति में उत्तर-पूर्वी प्रदेश की महिलाएं' विषय पर आयोजित एक क्षेत्रीय सेमीनार में उन्होंने भाग लिया।

कोहिमा, नागालैंड, में सदस्या ने गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों के साथ भी वार्तालाप किया। बाद में वह एक हस्तकला मेला देखने गयीं।

RNI No. 64877/96

आयोग का दमन और डयू का दौरा

महिलाओं की स्थिति का जायजा लेने और उनकी पारिस्थितिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए हाल में आयोग ने दमन और डयू का राजकीय दौरा किया। दमन और डयू संघ राज्य-क्षेत्र का यह आयोग का पहला दौरा है।

दमन में आयोग ने गैर सरकारी संगठनों, महिला कार्यकर्त्ताओं, महिला अधिकारियों आदि के साथ बैठक की। बैठक में आयोग की अध्यक्षा, सदस्या नफीसा हुसेन, दमन के कलेक्टर तथा दमन और डयू के समाज कल्याण विभाग के सचिव मौजूद थे।

बैठक में गैर सरकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गये:

(क) शराबखोरी (ख) सरकारी विभागों में नौकरी पाने में भ्रष्टाचार (ग) महिलाओं में, विशेषकर प्रवासी श्रमिक वर्ग में, कुपोषण (घ)स्कूलों की इमारतों की खस्ता हालत और शिक्षा का निम्न स्तर (ड.) मंजूरी में असमानता और स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार की कमी; विकलांग महिलाओं के लिए काम में आरक्षण (च)दहेज की समस्या (छ)अनैतिक व्यापार (ज)कुटीर उद्योगों की कमी (झ)गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाये (ञ)स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाये।

सेलो इंडस्ट्री, एंकर इंडस्ट्री और एक्शन शूज़ के प्रतिनिधि तथा दमन उद्योग संघ के उपाध्यक्ष के साथ एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें अनेक उद्योगपतियों ने भाग लिया।

आयोग द्वारा लिए गये प्रमुख निर्णय

● सरकारी एजेंसियों को शराब का वितरण देने संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख उठाने के लिए एक वकील नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

● संसद सदस्य श्रीमती करुणा शुक्ला द्वारा प्रस्तावित डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक, 2004, के गैर सरकारी विधेयक पर आयोग ने सहमती व्यक्त की। आयोग इस मुद्दे पर जन सुनवाइयां तथा कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है और अतिरिक्त सामग्री के रुप में अपनी सिफारिशें भेजेगा।

● आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जिन किसानों ने लगातार फसलें खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली थी उनकी विधवाओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोग ने क्षेत्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग राज्यों के महिला आयोगों, चुनींदा गैर सरकारी संगठनों, महिला अध्ययन केन्द्रों आदि के साथ बजट-पूर्व परामर्श करेगा।

सितम्बर 2000 में, राष्ट्रीय महिला आयोग को विभिन्न मुद्दों जैसे दहेज, दहेज मृत्यु, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पुलिस निष्क्रीयता आदि के बारे में 570 शिकायतें प्राप्त हुईं।

आयोग बेदखली का मुद्दा उठाएगा

एक अस्थायी आश्रय स्थल से नई दिल्ली नगर निगम द्वारा 50 बेघर महिलाओं को बेदखली की दशा से प्रभावित होकर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ उठाने का निर्णय किया है।

एकशनएड नामक गैर सराकरी संगठन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए, जोकि बेघर महिलाओं और बच्चों का यह आश्रय ग्रह चला रहा था, आयोग की अध्यक्षा आश्रय गृह देखने गयीं और प्रभावित महिलाओं से बात की।

क्यूंकि सास...'को आयोग का नोटिस

दैनिक सीरियल 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी' में वैवाहिक बलात्कार दिखाने संबंधी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्माता एकता कपूर को कारण-बताओ नोटिस भेजा है और उसे मिलने के लिए बुलाया है। सीरियल दिखाने वाले चैनल 'स्टार प्लस' को भी कारण-बताओ नोटिस भेजा गया है। एकता कपूर पहली दिसम्बर को आयोग के सम्मुख पेश होंगी।

During the month of October, 2004, 522 complaints were registered in the Complaints Cell under various heads such as Dowry, Dowry death, Sexual Harassment at workplace, police apathy etc.

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन